तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	प्रभु सिंह बनाम झाबीय 91/ RTA दिनांक 13/
24.06.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र आपत्ति मौका रिपोर्ट दिनांकित 22.04.2025 तहसीलदार श्रीमाधोपुर हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण मे प्रार्थना पत्र आपत्ति मौका रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र आपत्ति मौका रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर में वर्णित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1050/राजस्व/2025 दिनांक 22.04.2025 के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में भू. अभिलेख निरीक्षक झाडली द्वारा मुतनाजा भूमि के मौके की भौतिक सूरत के कतई विपरीत जाकर वास्तविक तथ्यों को जानबूझकर कतई गलत, मिथ्या एंव मनगढन्त तथ्यों पर मौका रिपोर्ट मय नवशा मौके की वास्तविक सूरत के विपरित पेश की है। जिसमें प्रार्थी प्रभूसिंह के अनुचित प्रभाव व प्रलोभन में आकर दुराशयपूर्वक उत्तरदाता को मौका स्थल के निरीक्षण किये जाने की बिना सूचना दिये ही अप्रार्थी की गैर मौजूदगी में बाला-बाला मौका स्थल पर गये बिना ही प्रभूसिह की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3358 के उत्तर पूर्व में भूमि खसरा नम्बर 3363 रकबा 0.11 हैक्टर उत्तर से दक्षिण लम्बा व पूर्व से पश्चिम चौड़ाई में वैकल्पिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज कटानी रास्ता मौके पर राजस्व रिकार्ड में उपलब्ध होते हुए भी उक्त वैकल्पिक रास्ता कटानी भूमि खसरा नम्बर 3363 रकबा 0.11 हैक्टर भूमि की वास्तविक भौतिक सूरत को मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शे में जान बूझकर पोशीदा रखकर आवेदक प्रभूसिंह से मिलीभगत कर येन-केन प्रकारेण उत्तरदाता नाथी देवी की भूमि खसरा नम्बर 3357 में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं होते हुए भी मिथ्या रूप से रास्ता दिखाये जाने की अनुचित मंशा से जॉचकर्त्ता पटवारी हल्का व गिरदावर [illegible] मौका सूरत के विपरित जाकर बिना [illegible] करके उक्त जॉच रिपोर्ट दिनांक 07.03.2025 मय नक्शा न्यायालय के सम[illegible] मिथ्या तथ्यों के आधार पर गलत रिपोर्ट पेश की है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने व आवेदक प्रभूसिंह को अनुचित लाभ दिलाने के लिए पेश की है। जो खारिज किये जाने योग्य है

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—लगातार

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3358 के उत्तरी पूर्वी कोने पर उत्तर से दक्षिण लम्बा व पूर्व से पश्चिम चौड़ा भूमि खसरा नम्बर 3363 रकबा 0.11 हैक्टर का राजस्व रिकार्ड व नक्शे में दर्ज वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी प्रार्थी प्रभुसिंह को अतिरिक्त नये रास्ते की मांग करने का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के विहित प्रावधानों के तहत कोई कानूनी हक अधिकार किसी भी किस्म का नहीं है। धारा 251 ए आरटीएक्ट के कानूनी प्रावधानों के अनुसार किसी भी खातेदार के पास जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो वह अन्य रास्ते की मांग नहीं कर सकता, ना ही उसे कानूनन अन्य रास्ता उपलब्ध करवाया जा सकता है। भूमि खसरा नम्बर 3357 के पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 14 फुट चौड़ा व 88 मीटर लम्बा कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। राजस्व कर्मियों ने प्रार्थी से मिलीभगत कर नितान्त गलत रूप से भूमि खसरा नम्बर 3358 के पूर्व में अवस्थित खसरा नम्बर 3363 रकबा 0.11 हैक्टर कटानी गै. मु. रास्ता के वैकल्पिक रास्ता को छिपाकर भूमि खसरा नम्बर 3357 के पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 4 मीटर चौड़ा व 88 मीटर लम्बा रास्ता दर्शाकर मिथ्या रिपोर्ट पेश की है। उक्त मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा पर अन्य किसी मौजिज व्यक्ति के कोई हस्ताक्षर किसी किस्म के नहीं है एंव ना ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने मौके पर जाकर किसी तरह का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा मात्र काउन्टर हस्ताक्षर कर सरसरी तौर पर हस्ताक्षर कर रिपोर्ट पेश की है। जो कतई पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। वकील अप्रार्थी ने एतराज प्रार्थना पत्र बाबत प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय नक्शा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को अपास्त फरमाया जाकर मौके पर [illegible] की भूमि खसरा नम्बर 3358 के उत्त[illegible] खसरा नम्बर 3363 रकबा 0.11 [illegible] वास्तविक भौतिक रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन अपने द्वारा [illegible]ुत प्रार्थना पत्र में किया है। वकील अप्रार्थीगण ने बहस उपरान्त एक न्यायिक दृष्टान्त आर0 आर0 टी0 2016–17 (सप्लीमेन्ट्री) पेज नम्बर 597 पेश की। जो शामिल पत्रावली की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

— लगातार —

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

वही दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अवगत करवाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वांछित अनुतोष मे दर्शित रास्ता ही प्रार्थी की भूमि के लिए लघुत्तम व निकटतम होकर मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। जो मौके पर प्रचलित भी चला आ रहा है। खसरा नम्बर 3363 गै0 मु0 रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 3358 से नही लगता है। उक्त रास्ता प्रार्थी की भूमि से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। प्रार्थी ने अपने द्वारा चाहे गये वांछित रास्ते का ही वर्तमान में उपयोग उपभोग करने बाबत कथन किया है। अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में से प्रार्थी को रास्ता नहीं देना चाहते है तथा अपनी खातेदारी भूमियों से रास्ता नहीं कटे। इसके लिए मलिन आशय से यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा न्यायालय को भिजवाई गई मौका जॉच रिपोर्ट पर प्रारम्भिक आपत्ति का पेश किया है। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से रास्ते के सम्बन्ध में तथ्यात्मक मौका जॉच रिपोर्ट न्यायालय में प्राप्त हो चुकी है। प्रकरण अन्तिम स्टेज पर न्यायालय में विचाराधीन है। अप्रार्थीगण ने मात्र प्रकरण को देरीना करने की वजह से एतराज प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जाकर प्रार्थी को धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट में चाहा गया वांछित रास्ता तहसीलदार श्रीमाधोपुर की मौका जॉच रिपोर्ट में वर्णित अनुसार दिये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमियों में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने का कथन कर अर्न्तगत धारा 251 (ए) के तहत अप्रार्थीगण से वांछित रास्ता चाहा है, जबकि [illegible] अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा नम्बर [illegible] नक्शा से प्रमाणित है कि प्रार्थी [illegible] खसरा नम्बर 3358 में आवागमन हेतु उक्त भूमि के उत्तरी पूर्वी कोने पर उत्तर से दक्षिण लम्बा व पूर्व से पश्चिम चौड़ा रास्ता, भूमि खसरा नम्बर 3363 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म गै0 मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड व नक्शें में कटा हुआ होकर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—लगातार—

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:03 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

139/2024

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध होना प्रमाणित होता है। जबकि प्रार्थी द्वारा अपने भूमि खसरा नम्बर 3358 में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 3357 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता चाहा गया है। इस प्रकार प्रार्थी प्रभुसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से प्रार्थी प्रभुसिंह के द्वारा एक अतिरिक्त नये रास्ते की मांग किया जाना प्रकट होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) के विहित कानूनी प्रावधानो के अनुसार किसी भी खातेदार के पास जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो वह अन्य रास्ते की मांग प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नहीं कर सकता ना ही उसे कानूनन अन्य रास्ता उपलब्ध करवाया जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थी को भूमि खसरा नम्बर 3357 में से रास्ता दिया जाना कानूनी प्रावधानो के तहत किसी प्रकार का कोई कानूनी हक अधिकार सृजित नही होते है। हमने तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा इस न्यायालय को प्रस्तुत की गई मौका जॉच रिपोर्ट दिनांक 22.04.2025 का विधिक दृष्टि से परीक्षण किया है। जिसके अनुसार हम पाते है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाई गई मौका जॉच रिपोर्ट में सम्बन्धित पटवारी व भू.अभिलेख निरीक्षक झाडली ने प्रार्थी/आवेदक ने जिस भूमि खसरा नम्बर 3358 मे आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है। उसी भूमि के सटाकर लगते हुए उत्तर–पूर्व दिशा में भूमि खसरा नम्बर 3363 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म गै0 मु0 रास्ता जो राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ते के रूप में इन्द्राज होकर मौके पर राजस्व नक्शा में कटा हुआ है जो प्रार्थी/आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 3358 से लगता हुआ है, को नजर अंदाज करते हुए प्रार्थी/आवेदक द्वारा चाहे गये भूमि खसरा नम्बर 3357 मे से पूर्वी दिशा मे सीमा के स[illegible] रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो कतई [illegible] है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत की गई मौका जॉच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर उक्त मौका जॉच रिपोर्ट मे कानूनी प्रावधानों एव नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो की पालना का पूर्णतया अभाव पाया गया है तथा पटवारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

– लगातार –

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्र.पत्र 251(ए)
	हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त झाड़ली द्वारा दोषपूर्ण मौका रिपोर्ट भिजवाये जाने से अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्ति मौका रिपोर्ट दिनांकित 22.04.2025 को बल मिलता है। इस कारण अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र मे उठाये गई आपत्तियां कानूनी तौर पर सिद्ध होती है। राजस्थान काश्तकारी (राजकीय) नियम, 1955 के नियम 68 एव 69 मे प्रदत्त विधिक प्रावधान की मंशा अनुसार धारा 251–ए की कार्यवाही मे प्रार्थना पत्र का निश्चित रूप से 90 दिवस की अवधि में निस्तारण किये जाने का प्रावधान किया गया है। धारा 251–ए की कार्यवाही एक समरी प्रोसीडिंग्स है जिसका अर्थ है कि ऐसे प्रकरणों का विचारण एक नियमित वाद की तरह नहीं किया जा सकता है। काश्तकारों को अपनी खातेदारी की भूमियों पर पहुँचाने हेतु निर्बाध रूप से रास्ता प्राप्त होना चाहिए तथा ऐसे मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता से निस्तारित किया जाना चाहिए। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को इसी स्तर पर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।
	–: क्रियात्मक आदेश :–
	अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति मौका रिपोर्ट दिनांकित 22.04.2025 तहसीलदार श्रीमाधोपुर को न्यायहित में स्वीकार की जाती है तथा प्रार्थी / आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। [illegible] बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।
	Signature Not Verified Digitally signed by Anil Kumar Date: 2025.08.27 13:00:03 IST Reason: SelfAttested
	(अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
	यह निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)